

UPKS060018352022



न्यायालय सिविल जज(क० श्रे०) त्वरित न्यायालय-II , कौशाम्बी
उपस्थित- शिवेन्द्र शर्मा (उ०प्र० न्यायिक सेवा)
मूल वाद संख्या- 608/2004

रामस्वरूप आयु लगभग 60 वर्ष पुत्र स्व 0 विपाती, निवासी ग्राम कानेमई, परगना-
कड़ा, तहसील-सिराथू, जनपद-कौशाम्बी।

... .. वादी

1. श्रीमती रानी देवी तथाकथित पत्नी स्व. रामशरन (मृतक)

2. श्रीमती गोविन्दी देवी पत्नी लोकपाल

तथाकथित निवासिनीगण मौजा कानेमई मई, परगना कड़ा, तहसील- सिराथू,
जनपद-कौशाम्बी।

... .. प्रतिवादिनीगण

:-निर्णय:-

01. प्रस्तुत वाद वादी द्वारा प्रतिवादिनीगण के विरुद्ध घोषणात्मक एवं स्थायी
निषेधाज्ञा के अनुतोष हेतु योजित किया गया है।

02. वादी का वाद कथानक संक्षेप में इस प्रकार है कि वादी दो भाई थे, वादी के बड़े
भाई स्व. रामशरन थे, जिनकी मृत्यु दिनांक 17.04.2004 को हो चुकी है। वादी के
बड़े भाई के कोई लड़का नहीं था तथा उनकी पत्नी बदमिया उर्फ बदामा देवी से उनसे
नहीं पटती थी, जिस कारण से वह उनके जीवनकाल में ही अर्सा कई साल पहले उन्हें
छोड़कर चली गयी थी जो उनके मरने के 4-5 माह पहले पुनः आ गयी थी।
प्रतिवादिनी सं-01 रानी देवी ने वादी के भाई की पत्नी बदामा देवी के नाम के स्थान
पर भी परिवार रजिस्टर में अपना नाम साजिश करके संशोधित करा लिया है। वादी के
भाई स्व. रामशरन की पत्नी श्रीमती बदमिया उर्फ बदामा देवी के चले जाने के बाद
तथा उनके कोई पुत्र न होने के कारण वृद्धावस्था में वे वादी के साथ ही रहने लगे तथा
वादी एवं उसके बच्चे उनकी देखभाल, सेवा व सुश्रुषा करते रहे वादी की सेवा व सुश्रुषा
से खुश होकर अपने अन्तिम समय में वादी के भाई रामशरन ने अपनी पूर्ण चल व
अचल सम्पत्ति के बावत वकील बुलवाकर एक वसीयत तैयार करवाई, जिसे दिनांक
16.04.2004 को समक्ष गवाहान वकील रामलाल के वादी के भाई रामशरन ने

निष्पादित किया और इस प्रकार वादी अपने भाई रामशरन की मृत्यु के बाद उनकी सारी चल व अचल सम्पत्ति में वसीयतनामा दिनांक 16.04.2004 के आधार पर बतौर मालिक काबिज व दखील हुआ और आज भी काबिज व दखील चला आ रहा है। वादी अपने भाई रामशरन की मृत्यु के बाद उनके क्रिया कर्म में लग गया, इसी बीच प्रतिवादिनी सं. 1. जिसका वादी व उसके भाई स्व. रामशरन से कभी भी कोई मलतब वास्ता व सरोकार नहीं रहा तहसील सिराथू के कर्मचारियों से मिलकर षड्यन्त्र व साँठगाँठ करके वादी के भाई रामशरन की फर्जी औरत बनकर उनके सारी भूमिधरी आराजी से संबंधित राजस्व अभिलेखों में बतौर उत्तराधिकारी अपना नाम चढ़वा लिया। प्रतिवादिनी सं. 1 बेइमानी व वादी की सम्पत्ति को हड़पने के नियत से राजस्व अभिलेखों में तहसील कर्मचारियों से साँठ-गाँठ करके अपना नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित कराने के बाद तुरन्त दिनांक 21.06.2004 को प्रतिवादिनी सं. 2 के पक्षों में वादी के भाई रामशरन के सम्पूर्ण हिस्से का एक फर्जी व नुमाइशी बैनामा प्रतिवादिनी सं. 2 के पक्ष में कर दिया। वादी व प्रतिवादिनीगण के विरुद्ध तहसील सिराथू में तहसीलदार के न्यायालय में नामान्तरण वाद चल रहा है, जो विचाराधीन है, जिसका मुकदमा नं. 394 सन् 2004 रामस्वरूप बनाम रामशरन आदि व मु.नं. 464 एवं मुकदमा नं. 465 गोविन्दी देवी बनाम रानी देवी आदि है जो अब भी विचाराधीन है। प्रतिवादिनी सं. 2 भी अब प्रश्नगत सम्पत्ति को अन्य लोगों के पक्ष में बैनामा निष्पादित करने की योजना बना रही है, जिससे वादी की सम्पत्ति को हड़प कर सके, जबकि बैनामा दिनांक 21.06.2004 शून्य है और उक्त बैनामों के आधार पर प्रतिवादिनी सं. 2 को प्रश्नगत सम्पत्ति पर कोई अधिकार नहीं है और न ही उसका कब्जा व दखल ही है। प्रतिवादिनीगण फर्जी बैनामों के आधार पर वादी की प्रश्नगत सम्पत्ति को अन्य असरदार प्रभावशाली व शक्तिशाली लोगों से मिलकर हड़प करने का प्रयास कर रही है, जबकि उन्हें प्रश्नगत सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का स्वत्व व अधिकार हासिल नहीं है और न ही उन्हें प्रश्नगत सम्पत्ति को बेचने का ही कोई अधिकार है। वादी को प्रतिवादी सं. 1 द्वारा प्रतिवादिनी सं. 2 के हक में किये गये बैनामे दिनांक 21.06.2004 की जानकारी तहसील सिराथू में चल रहे नामान्तरण वाद से हुई तब वादी ने बैनामा की सत्यप्रतिलिपि हेतु उपनिबन्धक, सिराथू के कार्यालय में प्रार्थनापत्र दिया और दिनांक 23.06.2004 को नकल प्राप्त किया। यद्यपि वादी व प्रतिवादिनीगण के बीच राजस्व न्यायालय में नामान्तरण का मामला चल रहा है, किन्तु प्रतिवादिनीगण आपस में साजिश करके प्रश्नगत सम्पत्ति का पुनः बैनामा अन्य लोगों के पक्ष में कर देने की उनके द्वारा दिनांक 15.10.2004 को धमकी दिये जाने से प्रस्तुत वाद की आवश्यकता उत्पन्न हुई। उपरोक्त परिस्थितियों में वादी के

लिये आवश्यक है कि वह प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के पक्ष में निष्पादित बैनामा दिनांक 21.06.2004 को माननीय न्यायालय से जरिये डिक्री शून्य घोषित करा देवे प्रश्नगत सम्पत्ति पर प्रतिवादिनीगण को किसी भी प्रकार का स्वत्व व अधिकार प्राप्त नहीं है और न ही उनका प्रश्नगत सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार का कब्जा व दखल ही है। वादी प्रश्नगत सम्पत्ति का जरिये वसीयतनामा दिनांक 16.04.2004 पूर्णकालिक काबिज व दखील है। जरिये डिक्री, प्रतिवादिनी सं. 1 द्वारा प्रतिवादिनी सं. 2 के पक्ष में निष्पादित किया गया बैनामा दिनांक 21.06.2004, जिसकी फोटोस्टेट प्रति पुस्तक सं. 1 के खण्ड 552 के पृष्ठ सं. 173 से 194 पर क्रम सं. 1151 पर दिनांक 26.06.2004 को उपनिबन्धक कार्यालय सिराथू, जनपद कौशाम्बी में पंजीकृत किया गया है, को शून्य घोषित किया जावे तथा साथ ही साथ यह भी घोषित किया जावे कि उक्त बैनामा वादी व प्रश्नगत सम्पत्ति पर किसी भी प्रकार से बन्धकारी व प्रभावकारी नहीं है तथा उपनिबन्धक सिराथू को इस घोषणा की प्रविष्टि संबंधित पंजीकरण अभिलेख रजिस्टर में करने हेतु निर्देशित किया जाये। जरिये डिक्री स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादिनीगण उनके प्रतिनिधियों, सेवकों व सहयोगियों को रोक दिया जाये कि ये प्रश्नगत सम्पत्ति पर वादी के शांतिपूर्ण कब्जा दखल से किसी भी प्रकार से हस्तक्षेप न करें और न ही वादी को प्रश्नगत सम्पत्ति से बेदखल करें तथा प्रश्नगत सम्पत्ति का हस्तान्तरण किसी भी तरीके से किसी अन्य के पक्ष में न करें, की याचना की गयी है।

03. प्रतिवादिनी संख्या 1 द्वारा लिखित कथन / प्रतिदावा में वादपत्र के लगभग सभी अभिकथनों का खण्डन किया गया है। प्रतिवादिनी सं. 1 द्वारा अतिरिक्त कथन में यह तथ्य प्रस्तुत किया गया है कि वादी के बड़े भाई रामसरन थे। रामसरन की पत्नी श्रीमती रानी देवी है। रामसरन की मृत्यु दिनांक 17.04.2004 को गंभीर बीमारी के कारण मोतीलाल नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद में हो गया। स्व. रामसरन की पत्नी बदमिया उर्फ बदामा कत्तई नहीं रही है बल्कि उनकी पत्नी प्रतिवादिनी सं. 1 श्रीमती रानी देवी है। रामसरन की गंभीर बीमारी के कारण दिनांक 10.04.2004 को उनकी पत्नी प्रतिवादिनी सं. 1 श्रीमती रानीदेवी द्वारा मोतीलाल नेहरू अस्पताल, इलाहाबाद इलाज हेतु भर्ती किया गया है। दिनांक 17.04.2004 को उनकी मृत्यु हो गयी है। रामसरन की मृत्योपरान्त प्रतिवादिनी सं. 1 उनकी सम्पूर्ण सम्पत्ति एवं वाद ग्रस्त सम्पत्ति की तनहा बतौर विधिक वारिस स्वामिनी हुई तथा तद्रुसार उस पर काबिज दखील रही तथा राजस्व अभिलेखों में भी प्रतिवादिनी सं. 1 का नाम बतौर विधिक वारिस सक्षम राजस्व अधिकारी के आदेशानुसार विधिवत अंकित हुआ। प्रतिवादिनी सं. 1 ने विधि विधान पूर्वक दिनांक 26.04.2004 को प्रतिवादिनी सं. 2 के हक में

पंजीकृत विक्रय पत्र बायत बाद ग्रस्त सम्पत्ति विधि विधानपूर्वक निष्पादित किया जिसका प्रतिवादिनी सं. 1 को पूर्ण वैध अधिकार रहा, तनुसार प्रतिवादिनी सं. 2 वादग्रस्त सम्पत्ति पर बतौर स्वामिनी विधिवत काबिज दखील हुई। प्रतिवादिनी सं. 2 का नाम राजस्व अभिलेखों में पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 26.04.2004 के आधार पर न्यायालय नायब तहसीलदार सिराथू, कौशाम्बी के आदेश दिनांक 12.08.2004 के अनुसार विधि विधानपूर्वक अंकित हुआ। वादी एक निहायत चालाक, लालची, एवं भूमाफिया किस्म का व्यक्ति है, वह जबरन बिना किसी अधिकार के प्रतिवादिनी सं. 1 की सम्पत्ति हड़प करने की नियत से बाला बाला फर्जी, नुमाइशी, अवैध एवं शून्य कथित वसीयत दिनांक 16.04.2004 ई. को छल कपटपूर्वक स्वयं तैयार कराया और कथित फर्जी वसीयत के आधार पर महज वादग्रस्त सम्पत्ति को फर्जी एवं अवैधानिक ढंग से हड़पने की नियत से अन्तर्गत धारा 34 भू. रा. अधिनियम में नामान्तरण वाद नायब तहसीलदार सिराथू महोदय के यहां दाखिल किया तथा उत्तरदात्री के पक्ष में पारित पूर्व नामान्तरण आदेश दिनांक 12.08.2004 को निरस्त करने हेतु भी पुर्नस्थापना प्रार्थना पत्र दिया, जिस पर न्यायालय नायब तहसीलदार, सिराथू, जनपद-कौशाम्बी महोदय ने गुण-दोष के आधार पर विधि-पूर्वक दिनांक 29.09.2006 ई. को वादी का नामान्तरण वाद निरस्त कर दिया था पूर्व पारित नामान्तरण आदेश 12.08.2005 बहक प्रतिवादिनी सं. 2 बहाल रखा जो कि अब भी प्रभावी है। अब कोई भी नामान्तरण वाद तहसीलदार अथवा नायब तहसीलदार के यहां कत्तई विचाराधीन नहीं है। स्व. रामसरन मौर्य (पूर्व स्वामी वादग्रस्त सम्पत्ति) ने कत्तई कोई वसीयतनामा अथवा लेखपत्र वादी के हक में कभी भी निष्पादित नहीं किया। कथित वसीयतनामा दिनांक 16.04.2004 पूर्णतः फर्जी, नुमाइशी, अवैध, कूटरचित, शून्य एवं अपंजीकृत प्रभावहीन दस्तावेज है, जिसके आधार पर वादी को कत्तई कोई अधिकार नहीं मिलता है। नामान्तरण वाद में सक्षम न्यायालय के समक्ष स्वयं श्री रामलाल एडवोकेट जी ने उपस्थित होकर प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र इस आशय का दिया है कि मैंने कोई भी वसीयत दिनांक 16.04.2004 को बहक वादी नहीं तैयार कराया और न ही ऐसी किसी वसीयत पर हस्ताक्षर ही बनाया है और निष्पादित करने वाले किसी व्यक्ति गवाह को जानता व पहचानता भी नहीं हूँ। प्रतिवादिनी सं. 2 ने आवश्यकतावश वादग्रस्त सम्पत्ति दिनांक 28.10.2005 ई. को सुरेश चन्द्र, रमेश चन्द्र, दिनेश चन्द्र, राजेन्द्र कुमार पुत्रगण जगदेव, निवासी बहुआ तहसील सिराथू, जनपद कौशाम्बी के हक में विक्रय पत्र निष्पादित कर दिया है और अब वादग्रस्त सम्पत्ति के स्वामी, काबिज दखील तदनुसार विक्रय पत्र दिनांक 28.10.2005 सुरेश चन्द्र, रमेश चन्द्र, दिनेश चन्द्र, राजेश कुमार पुत्रगण जगदेव

आदि है। वादी वादग्रस्त सम्पत्ति का कत्तई स्वामी नहीं है और न ही उसका कोई कब्जा दखल, वास्ता सरोकार वादग्रस्त सम्पत्ति से रहा और न है। दावा वादी धारा 34 विशेष अनुतोष अधिनियम से बाधित है। दावा वादी धारा 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है तथा दावा वादी आवश्यक पक्षकार बनाये जाने के दोष से बाधित है। न्यायहित में आवश्यक है कि दावा वादी सव्यय निरस्त किया जाय।

04. उभयपक्ष के उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु दिनांक 18.08.2009 को विरचित किये गये:-

1. क्या वादी वादग्रस्त सम्पत्ति अपने भाई स्व. रामसरन के 1/2 हिस्से का जरिए वसीयतनामा दिनांक 16.04.2004 के आधार पर मालिक, काबिज व दखील है?
2. क्या प्रतिवादिनी सं. 1 के द्वारा प्रतिवादिनी सं. 2 के पक्ष निष्पादित प्रश्नगत विक्रय पत्र दिनांक 21.06.2004 वाद पत्र की धारा 16 में वर्णित आधारों के आधार पर शून्य किये जाने योग्य है ?
3. क्या प्रश्नगत वसीयतनामा दिनांक 16.04.2004 फर्जी, कूटरचित व शून्य दस्तावेज है?
4. क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया तथा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?
5. क्या दावा वादी धारा 38 व 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?
6. क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. से बाधित है ?
7. क्या दावा वादी आवश्यक पक्षकार के दोष से बाधित है?
8. क्या वादी किसी अन्य कोई अनुतोष को पाने के अधिकारी है?

05. वादी द्वारा अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य के रूप में सूची 8 ग के साथ नकल खतौनी मौजा कार्नागई फसली सन् 1412 से 1417 रकबा 0.162 हे०. नकल खतौनी मौजा कानेगई फसली सन् 1412 से 1417 रकबा 0.262 हे०, नकल खतौनी मौजा कानेमई फसली सन् 1412 से 1417 रकबा 10.915 डे०. नकल खतौनी मौजा कानेमई फसली सन् 1412 से 1417 रकबा 0.036 है, नकल खतौनी मौजा कानेमई फसली सन् 1412 से 1417 रकबा 091 हेतु नकल खतौनी मौजा कानेमई फसली सन् 1412 से 1417 रकबा 1.695 हे०. नकल खतौनी मौजा कानेमई फसली सन् 1412 से 1417 रकबा 0:337 हे० , वसीयतनामा दिनांक 16.04.2004, वोटर लिस्ट मौजा कानेमई व बैनामा नकल दिनांक 26.06.2004 दाखिल किया गया है एवं मौखिक साक्ष्य के रूप में पी० डब्लू-1 के रूप में रामस्वरूप पी० डब्लू-2 रामचन्द्र व पी० डब्लू-3 रामजीत का साक्ष्य शपथपत्र दाखिल किया गया

तथा साक्षी पी0 डब्लू-1 रामस्वरूप पी0डब्लू-2 रामचन्द्र व पी0 डब्लू-3 रामजीत से प्रतिपरीक्षा प्रतिवादिनीगण के अधिवक्ता द्वारा की गयी है।

06. प्रतिवादिनीगण द्वारा अपने कथनों के समर्थन में दस्तावेजी साक्ष्य में सूची 173 ग के साथ सत्य प्रतिलिपि न्यायालय नायब तहसीलदार (द०) सिराथू, कौशाम्बी प्राणपत्र नकल संख्या- 1/233 / 394464465 सन् 2005 राम स्वरूप बनाम राम सरन दिनांक 15.05.2006, नकल शपथ पत्र की सत्य प्रतिलिपि न्यायालय नायब तहसीलदार (30) सिराय, कौशाम्बी प्रा०पत्र संख्या-1 /233/384464465 सन् 2005 राम स्वरूप बनाम राम सरन दिनांक 06.03.2006 नकल न्यायालय नायब तहसीलदार (५०) सिराधु, कौशाम्बी वाद संख्या-1 / 233 / 394 / 464+ 465 सन 2005-06 राम स्वरूप बनाम राम सरन धारा-344 आर०एक्ट ता०र्फ 29.09.2006 नकल सत्य प्रतिलिपि न्यायालय उप जिलाधिकारी सिराथू, कौशाम्बी वाद संख्या-42/47 सन 2006-08 धारा-210 मू०स० अधिनियम राम स्वरूप बनाम राम सरन ता० फै० 05.05.2008, नकल खतौनी मौजा कानेमई परगना कड़ा तहसील सिराथू, कौशाम्बी चावत 1412-1417, नकल सत्य प्रतिलिपि परिवार रजिस्टर मूल पर्चा एम०एल०एन०आर० / अस्पताल इलाहाबाद डिस्चार्ज स्लिप दिनांकित 17.04.2004, डेथ सर्टिफिकेट मूल दिनांक 17.04.2004 द्वारा मेडिकल आफिसर एम० एल०एन०आर० अस्पताल इलाहाबाद, नकल सत्य प्रतिलिपि बैनामा राना देवी दिनांक 26/06.2004, प्रमाणित प्रतिलिपि वारिस प्रमाण पत्र, प्रमाणित प्रतिलिपि राम सरन द्वारा जमा रूपया को उनकी पत्नी रानी देवी द्वारा निकालने का प्रमाण पत्र, फोटो प्रति बैंक इलाहाबाद डिस्ट्रिक्ट को-आपरेटिव बैंक लिमिटेड, इलाहाबाद स्पेसिमन सिगनेचर राम सरन मौर्य कम संख्या-167 व मूल प्रतिलिपि पारिवारिक सदस्यता प्रमाण पत्र प्रदत्त द्वारा तहसीलदार सिराथू कौशाम्बी दाखिल किया गया है। मौखिक साक्ष्य में डी०डब्लू० 1- गोविन्दी देवी व डी०डब्लू०-2 श्रीनाथ का साक्ष्य शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है तथा डी० डब्लू-1 गोविन्दी देवी व डी० डब्लू-2 श्रीनाथ से प्रतिपरीक्षा वादी के अधिवक्ता द्वारा की गयी है।

07. पत्रावली पर प्रस्तुत अभिलेखीय साक्ष्य एवं मौखिक साक्ष्य का अवलोकन किया एवं उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी गयी तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया।

:- निष्कर्ष:-

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 03-

08. वाद बिन्दु संख्या-03 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या प्रश्नगत वसीयतनामा दिनांक 16.04.2004 फर्जी, कूटरचित व शून्य दस्तावेज है?

09. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादिनीगण पर है।

10. उपरोक्त वाद बिन्दु के संबन्ध में वादी द्वारा वाद पत्र में यह अभिकथन किया गया है कि वादी के भाई रामशरन ने अपनी पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति वसीयतनामा दिनांकित-16.04.2004 समक्ष गवाहान वादी को निष्पादित कर दी है और उक्त वसीयतनामा के आधार पर वादी वादग्रस्त सम्पत्ति का मालिक काबिज व दखील है। प्रतिवादिनीगण द्वारा अभिकथन किया गया है कि वसीयतनामा दिनांकित - 16.04.2004 फ़र्जी, अवैध व कूटरचना करके छल कपटपूर्वक स्वयं तैयार कराया गया है। रामशरन की मृत्योपरान्त प्रतिवादिनी सं. 1 उनकी सम्पूर्ण सम्पत्ति एवं वादग्रस्त सम्पत्ति की तनहा बतौर विधिक वारिस स्वामिनी हुई तथा तदनुसार उस पर काबिज व दखील रही।

11. उपरोक्त अभिवचनों के आधार पर सर्वप्रथम मुख्य विचारणीय बिन्दु वसीयतनामा दिनांकित-16.04.2004 की वैधानिकता है। वादी द्वारा इस संबन्ध में वसीयतनामा दिनांकित-16.04.2004 की मूल प्रति कागज संख्या-66 क/1 ता 66 क/2 दाखिल किया गया है।

Indian Succession Act, 1925 की धारा-2(h) में वसीयत(Will) को परिभाषित किया गया है, जिसके अनुसार-

‘Will’ means the legal declaration of the intention of the testator with respect to his property which he desires to be carried into effect after his death.

12. प्रस्तुत वाद में प्रश्नगत वसीयतनामा दिनांकित-16.04.2004 में वसीयतकर्ता रामसरन पुत्र बिपाती को बताया गया है। वसीयतनामा कागज संख्या-66 क में यह वर्णित है कि मेरे पुत्र नहीं है। पत्नी जीवित है। एक पुत्री है जिसकी शादी हो चुकी है। शादी के बाद वह अपने ससुराल में सुखपूर्वक रह रही है। इस प्रश्नगत वसीयतनामा में रामसरन ने अपनी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति को अपने भाई राम स्वरूप को एक मात्र मालिक व वारिस बनाया गया है।

13. प्रश्नगत वसीयतनामा दिनांकित-16.04.2004 में वसीयतकर्ता ने अपनी सम्पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति को अंतरित किया है, किन्तु उक्त वसीयतनामा में सम्पत्ति का कोई विशिष्ट ब्योरा नहीं है। मौखिक साक्ष्य में पी०डब्लू० -1 वादी राम स्वरूप ने अपनी प्रति परीक्षा में यह अभिकथन किया है कि रामसरन से कोई बच्चे पैदा नहीं हुए और न ही कोई लडकी पैदा हुई। रामसरन लावळ रहे। मेरे भाई लावळ रहे यह बात मुकदमे में लिखी है। इसके विपरीत वादी द्वारा दाखिल वसीयतनामे में यह लिखा गया है कि वसीयतकर्ता की एक लडकी है जो ससुराल में सुखपूर्वक रह रही है। उपरोक्त

दोनों कथनों से यह स्पष्ट है कि वादी के बयान से वसीयतनामे की विश्वस्नीयता खण्डित हो जाती है।

14. पी०डब्लू०-01 वादी रामस्वरूप द्वारा अभिकथन किया गया है कि यह वसीयत रजिस्ट्री दफ्तर में हुई थी रजिस्ट्री दफ्तर मेरे भाई रामसरन स्वयं चलकर गये थे। वसीयत लिखने वाले वकील रामलाल थे, मैं था, और मेरे भाई रामसरन था। इसके विपरीत वादी द्वारा वाद पत्र के प्रस्तर-05 में यह अभिकथन किया गया है कि "वादी की सेवा व सुश्रुषा से खुश होकर अपने अन्तिम समय में वादी के भाई रामसरन ने अपनी पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति के बावत वकील बुलवाकर एक वसीयत तैयार करवाई, जिसे दिनांक 16.04.2004 को समक्ष गवाहान वकील रामलाल के वादी के भाई रामसरन ने निष्पादित किया।" वादी द्वारा दाखिल वसीयतनामों की मूल प्रति के अवलोकन से स्पष्ट है कि वसीयतनामा में न तो किसी सक्षम अधिकारी की मोहर व हस्ताक्षर है और न ही स्टैम्प लगा है। इस प्रकार वादी का यह कथन भी गलत है कि वसीयतकर्ता ने रजिस्ट्री दफ्तर में वसीयत निष्पादित की है।

15. वादी रामस्वरूप द्वारा आगे अपनी प्रतिपरीक्षा में यह भी अभिकथन किया गया है कि मैं अपने भाई रामसरन की पत्नी को नहीं पहचान सकता हूँ। जबकि वादी द्वारा यह भी अभिकथन किया गया है कि रानी देवी व बदमियां एक ही औरत का नाम नहीं है। रानी देवी फ़र्जी है, बदमियां सही है। राम सरन की कोई लडकी गोविन्दी नहीं है। गोविन्दी के खिलाफ़ मैंने कोई मुकदमा दाखिल नहीं किया है। मेरे मुकदमे में प्रतिवादिनी संख्या-02 श्रीमती गोविन्दी देवी पत्नी लोकपाल निवासिनी मौजा कानेमई परगना कडा तहसील सिराथू जनपद कौशाम्बी गलत लिखा है। वादी का यह कहना है कि रानी देवी फ़र्जी औरत है किन्तु वादी द्वारा यह स्वयं स्वीकार किया गया है कि वादी अपने भाई रामसरन की पत्नी को नहीं पहचानता है। अतः वादी के अभिकथनों से ऐसा प्रतीत होता है कि वह रामसरन की असली पत्नी को भी नहीं पहचानता है, तो किस आधार पर वादी रानी देवी को फ़र्जी औरत कह रहा है यह भी वादी द्वारा स्पष्ट नहीं किया गया है। वादी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि वादी ने प्रतिवादिनी संख्या-02 के विरुद्ध कोई मुकदमा नहीं दाखिल किया है किन्तु प्रस्तुत वाद में वादी ने प्रतिवादी संख्या-02 को पक्षकार बनाया है। अतः वादी के उपरोक्त अभिकथनों से यह स्पष्ट है कि वादी दिग्भ्रमित है।

16. पी०डब्लू०-2 के रूप में वादी द्वारा रामचन्द्र का साक्ष्य शपथपत्र कागज संख्या-123 ग प्रस्तुत किया गया है। रामचन्द्र वसीयतनामा में गवाह संख्या -02 हैं। पी०डब्लू०-2 रामचन्द्र ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिकथन किया है कि मैं वसीयतनामा के समय नहीं था। वसीयतनामा गांव वालों ने बताया था। जिसने

वसीयतनामा के बारे में बताया था उसका नाम नहीं पता है। वसीयतनामा कहां लिखी गयी थी कौन लिखा है याद नहीं है। याद करके नाम नहीं बता सकता। इस प्रकार वादी के अभिकथनों को वसीयतनामा के स्वयं गवाह रामचन्द्र ने ही अस्वीकार किया है। अतः उपरोक्त अभिकथनों से वसीयतनामा साबित नहीं हो रहा है।

17. वादी द्वारा पी०डब्लू०-03 के रूप में साक्षी रामजी का साक्ष्य शपथपत्र कागज संख्या-131 क प्रस्तुत किया गया। पी०डब्लू०-03 रामजी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में अभिकथन किया है कि यह कहना गलत है कि रामसरन की एक लडकी गोविन्दी भी है। रानी मर चुकी है। मुझे नहीं पता कि कब मरी है। रामसरन वर्ष 2004 मे मरे हैं। किस महीने में मरे नहीं बता सकता। शायद जाडा में मरे हैं। मुझे नहीं मालूम जाडा किस माह से शुरू होता है। जबकी वादी द्वारा दाखिल वसीयतनामे में रामसरन ने स्वयं कथन किया है कि मेरी एक पुत्री है। जिसकी शादी हो चुकी है। शादी के बाद वह सुखपूर्वक अपने ससुराल में रह रही है। वादी द्वारा प्रस्तुत वसीयतनामे व वादी द्वारा प्रस्तुत साक्षी के अभिकथनों में विरोधाभास है। वादी द्वारा वाद पत्र के प्रस्तर-02 में अभिकथन किया गया है कि वादी के बडे भाई रामशरन की मृत्यु दिनांक-17.04.2004 को हुई है। इसके विपरीत पी०डब्लू०-03 द्वारा कथन किया गया है कि रामसरन की मृत्यु जाडे में हुई है। अतः वादी द्वारा प्रस्तुत साक्षी पी०डब्लू०-03 के अभिकथनों पर विश्वास किये जाने योग्य नहीं है।

18. वादी द्वारा वाद पत्र के प्रस्तर-05 में यह अभिकथन किया गया है कि वादी के भाई रामशरन ने अपनी पूर्ण चल व अचल सम्पत्ति के बावत वकील बुलवाकर एक वसीयत तैयार कराई थी। वादी द्वारा दाखिल वसीयतनामा में रामसरन द्वारा यह कथन किया गया है कि रामसरन स्वस्थ चित्त व शुद्ध बुद्धि से यह वसीयत कर रहा है। किन्तु प्रतिवादिनीगण द्वारा दस्तावेजी साक्ष्य कागज संख्या-173 ग/21 में M.L.N. Hospital Allahabad की Discharge Slip दाखिल की गई है। जिसमें Date of Admission-10.04.2004 व Date of Death-17.04.2004 बताया गया है। उक्त अभिलेख से ऐसा प्रतीत होता है कि जिस दिनांक को मृतक रामसरन द्वारा वसीयत की गई उस दिनांक को मृतक रामसरन अस्पताल में भर्ती था। इस आधार पर भी वसीयत दिनांकित-16.04.2004 विश्वास किये जाने योग्य नहीं है।

19. माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा **हबीबुल्लाह बनाम मो0 यासीन आदि** द्वितीय अपील संख्या 958 वर्ष 1980 निस्तारित 12 दिसम्बर 1994 के मामले में व **Moran Mar Basselios Catholics & another V. Most. Rev. Mar Poulouse Athnnasina & others (A.I.R 1954 S.C. Page 526)** के मामले में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधि विनिश्चय प्रतिपादित किया गया है वादी को

अपना वाद स्वयं साबित करना होता है। वादी प्रतिवादी की कमियों का लाभ नहीं ले सकते हैं।

20. उपरोक्त आधारों पर इस निष्कर्ष पर सहजता पूर्वक पहुंचा जा सकता है कि प्रश्नगत वसीयतनामा दिनांकित-16.04.2004 वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य के आधार पर विधिसम्मत एवं विश्वास करने योग्य नहीं है। अतः वाद बिन्दु संख्या-03 सकारात्मकतः निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 01-

21. वाद बिन्दु संख्या-01 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी वादग्रस्त सम्पत्ति अपने भाई स्व. रामसरन के 1/2 हिस्से का जरिए वसीयतनामा दिनांक 16.04.2004 के आधार पर मालिक, काबिज व दखील है?

22. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादी पर है।

23. वादी द्वारा वाद पत्र में यह अभिकथन किया गया है कि वादी अपने भाई स्व० रामसरन के ½ हिस्से का जरिये वसीयतनामा दिनांकित-16.04.2004 के आधार पर वादग्रस्त सम्पत्ति का मालिक काबिज व दखील है।

24. न्यायालय द्वारा वाद बिन्दु संख्या-03 यह निष्कर्षित किया जा चुका है कि वादी द्वारा दाखिल वसीयतनामा दिनांकित- 16.04.2004 फ़र्जी व कूटरचित है। अतः वसीयतनामा दिनांकित- 16.04.2004 के आधार पर वादी वादग्रस्त सम्पत्ति का मालिक काबिज व दखील नहीं हो सकता है। कब्जा व दखल के संबन्ध में वादी द्वारा दाखिल दस्तावेजी साक्ष्य कागज संख्या-10 ग/1 में आदेश दिनांकित - 31.05.2004 के अनुक्रम में प्रतिवादिनी संख्या-01 रानी देवी का नाम उल्लिखित है एवं आदेश दिनांकित-18.08.2004 के अनुक्रम में प्रतिवादिनी संख्या-02 का नाम उल्लिखित है। राजस्व अभिलेखों में प्रतिवादी का नाम उल्लिखित है। वादी द्वारा अपने किसी मौखिक साक्ष्य से भी प्रश्नगत सम्पत्ति पर अपना कब्जा व दखल साबित नहीं किया गया है। अतः वादी अपने दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य से प्रश्नगत सम्पत्ति पर जरिये वसीयतनामा दिनांकित- 16.04.2004 के आधार पर अपना कब्जा व दखल साबित करने में विफल रहा है। अतः वाद बिन्दु संख्या-01 वादी के विरुद्ध नकारात्मकतः निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 02-

25. वाद बिन्दु संख्या-02 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या प्रतिवादिनी सं. 1 के द्वारा प्रतिवादिनी सं. 2 के पक्ष निष्पादित प्रश्नगत विक्रय पत्र दिनांक

26.06.2004 वाद पत्र की धारा 16 में वर्णित आधारों के आधार पर शून्य किये जाने योग्य है?

26. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादी पर है।

27. वादी द्वारा वाद पत्र में यह अभिकथन किया गया है कि वाद पत्र के प्रस्तर-16 में वर्णित आधारों के आधार पर विक्रय विलेख दिनांकित-21.06.2004 शून्य व निष्प्रभावी किये जाने योग्य है। वादी द्वारा बैनामा दिनांकित-26.04.2004 की छायाप्रति दाखिल की गई है, जो विधितः साक्ष्य में पठनीय नहीं है। प्रतिवादिनीगण द्वारा बैनामा दिनांकित-26.06.2004 सत्य प्रतिलिपि कागज संख्या-173 ग/23 ता 173 ग/34 दाखिल किया गया है।

28. वादी के द्वारा वाद पत्र के प्रस्तर-16 में वर्णित किया गया है कि प्रतिवादिनी संख्या-01 वादी के भाई की पत्नी नहीं है और उसे स्व० रामशरन द्वारा छोड़ी गई सम्पत्ति में किसी प्रकार का अधिकार नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य कागज संख्या-11 ग परिवार रजिस्टर में भी प्रतिवादिनी संख्या-01 रानी देवी का नाम है एवं राजस्व अभिलेखों में भी प्रतिवादिनी संख्या-01 का नाम उल्लिखित है। न्यायालय द्वारा वसीयतनामा दिनांकित-16.04.2004 को विधिसम्मत एवं विश्वास करने योग्य नहीं माना गया है। अतः उक्त के संबन्ध में वादी कोई ऐसा दस्तावेजी व मौखिक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सका है जिससे यह स्पष्ट हो कि प्रतिवादिनी संख्या-01 स्व० रामशरन की पत्नी नहीं है।

29. जहां तक प्रश्नगत विक्रय विलेख में प्रतिफल का प्रश्न है, वादी द्वारा यह भी कथन किया गया है कि वादी द्वारा छल व कपट करके प्रश्नगत बैनामा निष्पादित कराया गया है और उसे प्रतिफल की कोई भी धनराशि अदा नहीं की गई है। उक्त के संबन्ध में प्रतिवादिनीगण द्वारा बैनामा दिनांकित-26.06.2004 की सत्य प्रतिलिपि दाखिल की गई है, जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि विक्रय पत्र में यह उल्लिखित है कि प्रतिवादिनी द्वारा कुल मूल्य प्राप्त कर लिया गया है व कुछ पाना शेष नहीं है। निष्पादित किये गया विक्रय पत्र एक पंजीकृत विलेख है। परिशीलन से भी यह स्पष्ट है कि उक्त बैनामा एक पंजीकृत दस्तावेज है जिसके विधितः निष्पादित होने की अवधारणा की जाती है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विधिक दृष्टांत **प्रेम सिंह एवं अन्य बनाम बीरबल एवं अन्य, (2006) 5 SCC 343** में भी यह स्पष्ट किया गया है कि-

28. There is a presumption that a registered document is validly executed. A registered document therefore, prima facie would be valid in law. The onus of proof, thus, would be on a person who leads evidence to rebut the presumption."

30. उक्त विधि व्यवस्था के अनुसार, पंजीकृत दस्तावेज के संबंध में यह उपधारणा की जाती है कि वह वैध रूप से निष्पादित हुआ है। अतः एक पंजीकृत दस्तावेज विधि की दृष्टि में प्रथम दृष्टया वैध होगा। इस उपधारणा को खंडित करने का भार उस व्यक्ति पर है जो इसके विपरीत कथन करता है।

31. प्रतिवादिनीगण की ओर से प्रस्तुत साक्षी डी०डब्लू०-1 गोविन्दी देवी ने अपनी प्रतिपरीक्षा में यह अभिकथन किया है कि बैनामा में मैने पचास हजार रुपए दिया था। पचास हजार रुपए मैने बिटिया दमाद से लेकर दिया था। उक्त साक्षी ने यह कथन किया है कि प्रश्नगत विक्रय विलेख में प्रतिवादिनी ने प्रतिफल की राशि प्राप्त की है।

32. इसी अनुक्रम में यह भी उल्लेखनीय है कि मूल विक्रय विलेखों के परिशीलन से यह स्पष्ट है कि संबंधित सब रजिस्ट्रार के द्वारा विक्रय विलेख पर पृष्ठांकन किया गया है। इस संबंध में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद ने **Hari Nath vs. Virendra Nath Pandey and Ors. S.A. No. 383 of 1982. D/ d. 17.7.2008.** यह सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है कि-

"21. The Sub Registrar had also affixed a signature and there was no definite denial of the execution made in the pleadings, therefore, it was held that in these circumstances, the endorsement of the Sub Registrar should be deemed to be sufficient proof of the execution of the deed.

33. उक्त विधि व्यवस्था के सादर अवलोकन से यह स्पष्ट है कि जहां पर सब रजिस्ट्रार द्वारा विक्रय विलेख में पृष्ठांकन व हस्ताक्षर किया है किया गया है तो उस विलेख को सम्यक निष्पादन का प्रमाण माना जा सकता है जिस कारण वादी द्वारा किये गए कथन विश्वसनीय नहीं है। अतः वादी बैनामे की वैधता के संबंध में की गई उपधारणा को किसी ठोस साक्ष्य द्वारा खंडित नहीं कर है सका है।

34. जैसा कि विदित है कि भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 की धारा 101 के अनुसार जो कोई न्यायालय से यह चाहता है कि वह ऐसे किसी विधिक अधिकार या दायित्व के बारे में निर्णय दे जो उन तथ्यों के अस्तित्व पर निर्भर हैं, जिन्हें वह प्राख्यात करता है, उसे साबित करना होगा कि उन तथ्यों का अस्तित्व है। निश्चय ही विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि वादी को स्वयं अपने पैरों पर खड़ा होना होगा अपने बात को सिद्ध करने के लिए। जैसा कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा **गुरुमुख राम मदन बनाम भगवानदास मदन, AIR 1998 SC 2771** में अवधारित किया गया है कि-

"वादी को अपना वाद स्वयं साबित करना चाहिए। उसे प्रतिवादी की असफलता के कारण स्वमेव सफल नहीं माना जायेगा। वादपत्र के कथनों को साबित करने का भार वादी पर अधिक होता है। जहाँ पर वादी इस भार को वहन करने में असफल हो जाता है, वहाँ पर प्रतिवादी की कमजोरी के आधार पर वादी का वाद डिक्री नहीं किया जा सकता। वादी को अपना वाद स्वयं के साक्ष्य और अभिकथनों के आधार पर साबित करना होता है न कि प्रतिवादीगण की त्रुटियों का लाभ लेकर।"

35. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा न्यायिक दृष्टांत **अनिल ऋषि बनाम गुरबख्श सिंह, (2006) 5 SCC 558, के पैरा 10, 11 व 14** में यह विधि व्यवस्था प्रतिपादित की गयी है कि- अभिकथन साक्ष्य नहीं हैं। वादी को अपने साक्ष्य द्वारा सर्वप्रथम यह सिद्ध करना होगा कि प्रतिवादी वादी की इच्छा को अधिशासित करने की स्थिति में है जिसके उपरांत ही धारा 102, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 के अंतर्गत सबूत का भार प्रतिवादी पर होगा। मात्र अपने अभिकथनों के आधार पर वादी यह सिद्ध नहीं कर सकता कि उसके प्रतिवादी के मध्य एक प्रत्यायी रिश्ता है।

36. इस प्रकार उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर यह स्पष्ट कि वादी यह पूर्णतः सिद्ध करने में असफल रहा है कि प्रतिवादिनीगण ने गलत तरीके से बैनामा निष्पादित कराया है और न ही वह यह सिद्ध करने में सफल है कि विवादित भूमि पर प्रतिवादीगण का अविधिक रूप से अध्यासन है जिस कारण बैनामा दिनांकित 26.06.2004 एक विधिक व प्रभावी दस्तावेज है व वादपत्र में वर्णित आधारों पर शून्य घोषित किये जाने योग्य नहीं है। तदनुसार बाद बिंदु संख्या-2 वादी के विरुद्ध नकारात्मक रूप से निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 04-

37. वाद बिन्दु संख्या-04 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या वादी द्वारा वाद का मूल्यांकन कम किया गया तथा प्रदत्त न्यायशुल्क अपर्याप्त है?**

38. उक्त वाद बिन्दु का निस्तारण मेरे विद्वान पूर्वाधिकारी महोदय द्वारा दिनांक - 02.09.2009 को किया जा चुका है। उक्त आदेश इस निर्णय का भाग रहेगा।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 05-

39. वाद बिन्दु संख्या-05 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या दावा वादी धारा 38 व 41 विशिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है?**

40. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादिनीगण पर है। प्रतिवादिनीगण द्वारा लिखित कथन कागज संख्या-36 क की धारा-45,46 में यह कथन किया है कि दावा वादी धारा-34 व 41 विनिर्दिष्ट अनुतोष अधिनियम से बाधित है।

41. उक्त वाद बिन्दु पर प्रतिवादिनीगण द्वारा कोई बल नहीं दिया गया है तथा न ही कोई सारवान साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। अतः उक्त वाद बिन्दु पर प्रतिवादिनीगण द्वारा बल न दिये जाने के कारण व साक्ष्य अभाव में प्रतिवादिनीगण अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं। वाद बिन्दु सं० 1,2 व 3 पर निष्कर्ष मेरे द्वारा दिया जा चुका है। उक्त वाद बिन्दु सं० 05 वाद बिन्दु सं० 1,2 व 3 में दिए गए निष्कर्ष के आधार पर ही देखा जाएगा। तदनुसार वाद बिन्दु सं० 05 प्रतिवादिनीगण के विरुद्ध निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 06-

42. वाद बिन्दु संख्या-06 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या दावा वादी आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. से बाधित है?**

43. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादिनीगण पर है। प्रतिवादिनीगण द्वारा लिखित कथन कागज संख्या-36 क की धारा-29 में यह कथन किया है कि दावा वादीगण आदेश 7 नियम 11 सी.पी.सी. से बाधित है।

44. उक्त वाद बिन्दु सं० 06 के संबंध में प्रतिवादिनीगण ने प्रतिवादपत्र में यह नहीं बताया है कि आदेश 7 नियम 11 जा० दिवानी के किस उप-खण्ड (Sub clause) से बाधित है और न ही इस पर बल दिया गया है। उक्त वाद बिन्दु के सम्बन्ध में प्रतिवादिनीगण की तरफ से ऐसा कोई सारवान प्रलेख व दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे यह साबित हो कि आदेश 7 नियम 11 जा० दी० में वर्णित आधारों में से किसी आधार से बाधित हो और वादी का वादपत्र दावा दायरा के समय किसी विधि से बाधित न होने पर मंजूर व दर्ज रजिस्टर किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रतिवादिनीगण उक्त वाद बिन्दु को अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहे हैं। अतः वाद बिन्दु सं० 06 प्रतिवादिनीगण के विरुद्ध नकारात्मकतः निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 07-

45. वाद बिन्दु संख्या-07 इस आशय का विरचित किया गया है कि **क्या दावा वादी आवश्यक पक्षकार के दोष से बाधित है?**

46. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार प्रतिवादिनीगण पर है। प्रतिवादिनीगण द्वारा लिखित कथन कागज संख्या-36 क की धारा-47 में यह कथन किया है कि दावा वादी आवश्यक पक्षकार के दोष से बाधित है।

47. उक्त वाद बिन्दु पर प्रतिवादिनीगण द्वारा कोई बल नहीं दिया गया है तथा न ही कोई सारवान साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। वादी द्वारा अपनी मौखिक बहस में कथन

किया गया है कि धारा-52 सम्पत्ति अंतरण अधिनियम के अंतर्गत आवश्यक नहीं है कि विक्रीत सम्पत्ति के खरीदारों को पक्षकार बनाया जाए। अतः धारा-52 सम्पत्ति अंतरण अधिनियम के आलोक में प्रस्तुत वाद पक्षकारों के असंयोजन से बाधित नहीं है। तदनुसार वाद बिन्दु सं० 07 प्रतिवादिनीगण के विरुद्ध नकारात्मकतः निर्णीत किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या 08-

48. वाद बिन्दु संख्या-08 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या वादी किसी अन्य कोई अनुतोष को पाने के अधिकारी है?

49. उक्त वाद बिन्दु को साबित करने का भार वादी पर है। वादी ने अन्य किसी अनुतोष पर बल नहीं दिया था। मुख्य रूप से उनके अधिवक्ता ने घोषणात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष पर बल दिया था और बरवक्त निस्तारण वाद बिन्दु सं० 1, 2 व 3 न्यायालय द्वारा यह पाया गया है कि वादी मुख्य अनुतोष घोषणात्मक एवं स्थायी निषेधाज्ञा प्रतिवादिनीगण के विरुद्ध पाने का अधिकारी नहीं है। ऐसी स्थिति में न्यायालय द्वारा समग्र विश्लेषण पश्चात अन्य अनुतोष देने के क्रम में यह पाया जाता है कि वादी किसी अन्य अनुतोष को भी पाने का अधिकारी नहीं है, क्योंकि वादी मुख्य अनुतोष को ही अपने पक्ष में साबित करने में असफल रहा है।

50. प्रस्तुत प्रकरण में उपरोक्त समस्त विश्लेषण पश्चात तथा वाद बिन्दु सं०-1 लगायत 08 पर दिए गए निष्कर्षों के पश्चात न्यायालय का मत है कि वादी वादग्रस्त सम्पत्ति पर अपना कब्जा व दखल साबित करने में असफल रहा है। वादी याचित अनुतोष के बावत अपना दावा अपने स्वयं के साक्ष्य से साबित करने में असफल रह है। अतः वादी याचित अनुतोष को पाने का अधिकारी नहीं है। अतः दावा वादी विरुद्ध प्रतिवादिनीगण वास्ते घोषणात्मक व स्थाई निषेधाज्ञा निरस्त किए जाने योग्य है।

:-आदेश:-

51. प्रस्तुत मूल वाद संख्या-608/2004 निरस्त किया जाता है। पक्षकार वादव्यय स्वयं वहन करेंगे।

दिनांक- 30.11.2022

(शिवेन्द्र शर्मा)

सिविल जज(क०श्रे०)/
त्वरित न्यायालय-II,
कौशाम्बी

J.O. Code- UP3792

52. आज यह निर्णय मेरे द्वारा खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित एवं दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक- 30.11.2022

(शिवेन्द्र शर्मा)

सिविल जज(क०श्रे०)/
त्वरित न्यायालय-II,
कौशाम्बी

J.O. Code- UP3792